

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक--प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)--11/2024
प्रेषक,

50 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 10/03/2024

मो0 नैय्यर इकबाल
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
जहानाबाद, रोहतास, मधेपुरा, सीवान, शिवहर एवं पटना।

विषय:-- मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) मांग सं0-18 विपत्र कोड-18 3456000010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु कुल 33,49,000/- (तींतीस लाख उनचास हजार) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-214/वि0 दिनांक-06.03.2024, पत्रांक-3576/वि0 दिनांक-01.04.2024, पत्रांक-730/वि0 दिनांक-09.12.2024 एवं पत्रांक-405/वि0 दिनांक-25.05.2006 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न तालिका 'क' एवं 'ख' के अनुसार मदवार कुल 33,49,000/- (तींतीस लाख उनचास हजार) रुपये मात्र कॉलम 5 के अनुसार आवंटित किये जाते हैं :-

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	पुनरीक्षित उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	01 वेतन	18,47,12,000	10,03,000
		02 विशेष वेतन	1,00,72,000	2,03,000
		03 जीवन यापन भत्ता	12,51,23,000	9,02,000
		04 मकान किराया भत्ता	2,75,82,000	1,03,000
		05 परिवहन भत्ता	44,38,000	15,000
		06 चिकित्सा भत्ता	39,20,000	5,000
		07 अन्य भत्ता	8,96,000	45,000
	योग-18-3456.00.001.0003.01-वेतन		35,67,43,000	22,76,000
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	7,50,000	00
	योग- 18-3456.00.001.0003.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		7,50,000	00
3	11 यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	15,00,000	00
	योग- 18-3456.00.001.0003.11-यात्रा व्यय		15,00,000	00
4	13 कार्यालय व्यय	01 कार्यालय व्यय	50,00,000	1,00,000
		02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	8,50,000	00
		03 दूरभाष	22,00,000	00
		04 विद्युत प्रभार	40,00,000	00
		05 विधि प्रभार	4,50,000	00
		06 वर्दी/पोशाक	00	00
		07 विद्युत प्रभार डी0पी0एस0	4,00,000	00
		10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	4,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.13-कार्यालयी व्यय		1,33,50,000	1,00,000

05	14 किराया दरें और कर	01 किराया महसूल एवं कर	3,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.14-किराया दरें और कर		3,50,000	00
06	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	25,000	00
		03 प्रशिक्षण व्यय	7,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		7,25,000	00
07	21 सामग्री और आपूर्ति	01 सामग्री और पूर्तियाँ	41,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.21-सामग्री और आपूर्ति		41,000	00
08	26 विज्ञापन और प्रकाशन	01 विज्ञापन और प्रकाशन	45,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.26-विज्ञापन और प्रकाशन		45,00,000	00
09	28-व्यावसायिक सेवाएँ	02 सविदा सेवाएँ	4,90,00,000	9,73,000
	योग-18-3456.00.001.0003.28 व्यवसायिक सेवाएँ		4,90,00,000	9,73,000
10	51 मोटर वाहन	01 मोटरगाड़ी कार्यालय	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.51-मोटर वाहन		1,000	00
11	52 मशीनें एवं उपस्कर	02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.52-मशीनें एवं उपस्कर		1,000	00
	कुल योग-18-3456.00.001.0003-जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)		43,26,61,000	33,49,000

2. कुल 33,49,000/- (तीस लाख उनचास हजार) रुपये मात्र का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है जिसकी विवरणी 'क' एवं 'ख' में निम्नवत् है :-

: क :

क्र०	जिला कार्यालय का नाम	वेतन	विशेष वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, जहानाबाद	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10000	16000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, रोहतास	1000	1000	500000	1000	1000	1000	0	505000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, सीवान	700000	100000	200000	50000	10000	1000	20000	1081000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, पटना	300000	100000	200000	1000	2000	1000	15000	619000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, शिवहर	1000	1000	1000	50000	1000	1000	0	55000
कुल योग:-		1003000	203000	902000	103000	15000	5000	45000	2276000

: ख :

क्र०	जिला कार्यालय का नाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	दूरभाष	सविदा सेवाएँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, जहानाबाद	0	0	0	0	0	300000	300000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, मधेपुरा	0	0	0	0	0	373000	373000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, सीवान	0	0	0	0	0	300000	300000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, पटना	0	0	100000	0	0	0	100000
कुल :-		0	0	100000	0	0	973000	1073000

3. राशि की निकासी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग के अध्यक्षों द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

4. राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जायेगी। गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक इकाईवार व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
6. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में होने वाले पूर्ण व्यय का आकलन करते हुए दिये जा रहे आवंटन के अतिरिक्त यदि और राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ इकाईवार विस्तृत विवरणी सहित राशि की अधियाचना उपलब्ध करायी जाय।
7. इस आवंटन में सदस्यों के मानदेय की राशि भी सम्मिलित है।
8. इस आवंटन से स्वीकृत बल के आलोक में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को ही नियमतः भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिये गये आवंटन से हुए व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-11/2024

50(बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 10/03/2025 10/03/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-11/2024

50(बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 10/03/2025 10/03/2025

प्रतिलिपि:-संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-11/2024

50(बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 10/03/2025 10/03/2025

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 02 एवं 05/सचिव कोषांग, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

10/03/25

dm

dm 3/25